प्रेषक,

सुरेश कुमार पाण्डेय,
विशेष सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

पुलिस महानिदेशक/महानिरीक्षक,
कारागार प्रशासन एवं सुधार सेवायें,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

कारागार प्रशासन एवं सुधार अनुभाग-3 लखनऊ: दिनांक: 20-12-2022

विषय:- जिला कारागार, कानपुर नगर में निरूद्ध वर्तमान विधान सभा सदस्य/विचाराधीन बंदी इरफान सोलंकी पुत्र स्व0 हाजी मुस्ताक सोलंकी को प्रशासनिक आधार पर अन्यत्र कारागार पर स्थानांतरित किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपने कार्यालय के पत्र संख्या-38782/सामा-1(8)/158/बंदी स्था0/2022, दिनांक 13-12-2022 में की गयी संस्तुति के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि शासन द्वारा सम्यक् विचारोपरान्त उत्तर प्रदेश जेल मैनुअल-2022 के प्रस्तर-118 सपठित-385 में निहित प्रावधानों के अनुसार जिला कारागार, कानपुर नगर में निरूद्ध वर्तमान विधान सभा सदस्य/विचाराधीन बंदी इरफान सोलंकी पुत्र स्व0 हाजी मुस्ताक सोलंकी, निवासी-178डी डिफेन्स कालोनी, जाजमऊ, थाना-जाजमऊ, जनपद-कानपुर नगर को प्रशासनिक आधार पर जिला कारागार, महराजगंज स्थानांतरित किये जाने की स्वीकृति प्रदान की जाती है।

2- कृपया उपरोक्तानुसार आवश्यक कार्यवाही सुनिश्चित कराते हुए अनुपालन आख्या शासन को शीघ्र उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

भवदीय,
सुरेश कुमार पाण्डेय
विशेष सचिव।

संख्या व दिनांक तदैव।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- निजी सचिव, मा0 राज्यमंत्री (स्वतंत्र प्रभार), कारागार प्रशासन एवं सुधार विभाग, उ0प्र0 को मा0 राज्यमंत्री जी के सूचनार्थ।

2- निजी सचिव, मा0 राज्यमंत्री, कारागार प्रशासन एवं सुधार विभाग, उ0प्र0 को मा0 राज्यमंत्री जी के सूचनार्थ।

3- अपर पुलिस महानिदेशक, कानून एवं व्यवस्था, उ0प्र0, लखनऊ।

4- जिला मजिस्ट्रेट, कानपुर नगर/महराजगंज ।

5- पुलिस आयुक्त, कानपुर नगर।

6- पुलिस अधीक्षक, महराजगंज।

7- अधीक्षक, जिला कारागार, कानपुर नगर को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि प्रश्नगत बंदी को जिला कारागार, कानपुर नगर से जिला कारागार, महराजगंज में स्थानांतरित/दाखिल किये जाने की सूचना रेडियोग्राम के माध्यम से शासन को उपलब्ध करायें।

8- अधीक्षक, जिला कारागार, महराजगंज।

9- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,
सुरेश कुमार पाण्डेय
विशेष सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in